न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2015 (राजसमन्द डिक्री)

1. भंवर पिता उदा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. वजेराम पिता उदा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. लादूलाल पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. मोहनलाल पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. किशनलाल पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. प्रकाश पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. मनीष पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. श्रीमती सामू पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/7. श्रीमती नर्बदा पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/8. श्रीमती चम्पा पिता वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/9. श्रीमती हीरीबाई बेवा वजेराम जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

3. श्रीमती फेफी बेवा उदा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. केला पिता हासा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2. उमा पिता हासा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. पेमा पिता उमा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. घासीराम पिता उमा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. डालू पिता उमा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. श्रीमती देऊबाई पिता उमा जी गुर्जर, निवासी कुंवाथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
दिनांक 24.12.2014, प्र. सं. 66/13

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मनीष शर्मा अभि. रे. सं. 1, 2/1 से 2/4
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 28–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुंआथल में आराजी नंबर 1495/1 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष हांसा जी के तीन पुत्र उदा, केला व उमा हुए। उदा करीब 70 वर्ष पूर्व आसु पिता ठाकरी जिसके कोई संतान नहीं थी, के गोद चला गया तथा आसु की मृत्यु के बाद आसू की समस्त आराजियात उदा मुतबन्ना आसु के नाम दर्ज हुई। उदा की मृत्यु के बाद

उसकी जमीन उसके दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व उसकी पत्नी फेफी बाई प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज हो गयी। इस प्रकार उदा के गोद चले जाने से हांसा की भूमिसों में उसका कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा तथा उसे अपने गोद पिता की भूमियां प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में उसके नाम पर दर्ज हो गयी। हांसा की भूमियों में वादी केला व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है, जिस पर वे काबिज हैं। इन भूमियों में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है न ही उनका कब्जा है, किन्तु हांसा की भूमियों में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज रह जाने से वे वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतएवं वादी को वाद वर्णित आराजी नंबर 1495/1 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3) उपस्थित हुए तथा उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश करने का समय चाहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री तरूण मेवाड़ा ने अण्डर टेकिंग दी। दिनांक 17–07–2013 को अण्डर टेकिंग लिये जाने के बाद अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की उपस्थिति के बाद दिनांक 13–8–2013 से 04–06–2014 तक अवसर दिये गये। प्रकरण में दिनांक 09–06–2014 को वकील प्रतिवादी द्वारा नोट प्रेस कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से प्रकरण में औपचारिक जवाबदावा पेश किया गया।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजियात ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 325 रकबा कुल 27 बीघा 15 बिस्वा में से वादी का 1/2 हिस्सा हो वादी अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है ?..... वादी
2. आया वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 325 में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 का गलत नाम हटाये जाने का अधिकारी है ? ..... वादी

3. आया वादग्रस्त आराजियात पर वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? ..... वादी

4. आया वाद हेतुक उत्पन्न है ? ..... वादी

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–12–2014 से वादीगण का वाद स्वीकार किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–02–2015 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2/1 से 2/4 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील के लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि उदा कभी आसू के गोद गया ही नहीं, न ही उदा के असली माता–पिता ने उसे गोद दिया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गोद लेने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे, न ही ऐसा कोई गोदनामा रजिस्टर्ड ही है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने फेफीबाई की तामिल मानने मं भी भूल की है तथा वकील ने अण्डर टेकिंग दी, परन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में पक्षकारान को पुनः नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। दोनों प्रतिवादी अधिनस्थ न्यायालय में इसलिए उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वादी केला और उनके बीच आपसी इकरारनामा लिख दिया गया था तथा केला ने कहा था कि उनके न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना वाद विड्रो का लूंगा, परन्तु प्रतिवादी/अपीलान्टगण को धोखे में रखकर एकतरफा वाद डिक्री करा दिया। जहां वकील हिदायत पैरवी

नहीं होना जाहिर करता है वहां पक्षकारान को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को हिदायत पैरवी बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि सभी अपीलान्ट को नोटिस की विधिवत तामिल हुई है तथा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुए हैं तथा उनकी उपस्थिति में वकील द्वारा अण्डर टेकिंग भी दी गयी है। इन परिस्थितियों में यह कदापि नहीं माना जा सकता कि उनकी प्रापर तामिल नहीं हुई है। यह बात अलग है कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचना दिये बिना हिदायत पैरवी होना जाहिर किया अथवा नहीं, यह प्रमाणित नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट की अनुपस्थिति को प्रथम दृष्टया असद्भावी माने जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में हम यह विशेष रूप से पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार औपचारिक पक्षकार के जवाबदावे के आधार पर औपचारिक तनकियात कायम की हैं।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के तहत पेश शुदा दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 1721 जिसका निर्णय दिनांक 22–12–2004 को हुआ है, उसमें यह सुस्पष्ट स्थिति है कि पक्षकारान की शामलाती आराजियात जिसमें विवादित आराजी नंबर 1495/1 भी शामिल है, कुल आराजियात किता 11 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा भूमि उदा के वारिसान तथा उमा व केला की संयुक्त आराजियात जिसका सहमति बंटवाड़ा होकर कतिपय आराजी उमा को तथा कतिपय आराजियात केला को तथा आराजी नंबर 1495/1 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा उदा के वारिया प्रतिवादी/अपीलान्टगण के संयुक्त रखी गयी है। अर्थात पूर्व की संयुक्त आराजियात में से सहमति बंटवाड़े के आधार पर वर्ष 2004 में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान विवादित आराजी नंबर 1495/1 में अपीलान्टगण का संयुक्त हिस्सा रखा गया है, जिससे यह आराजी संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अपीलान्टगण के खाते में दर्ज हुई है। वादी द्वारा उक्त तथ्यों को अपने वाद में छुपाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से अधिनस्थ न्यायालय में वाद लेकर नहीं आये हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यदि वर्ष 2004 में वादी सहमति बंटवाड़ा करवाकर उसमें

अपीलान्ट का बराबर हिस्सा मानता है तो फिर वह पुनः 9 वर्षो बाद वर्ष 2013 में उक्त बंटवाड़े के तथ्यों को छुपाकर उदा के गोद चले जाने के तथ्यों को उठाने के लिए अधिकृत नहीं है। वादी द्वारा वर्ष 2004 में हुए बंटवाड़े को छुपाकर वाद प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त तथ्य अन्वेषण/जांच/साक्ष्य के मोहताज हैं। प्रकरण में यह भी विचारणीय प्रश्न है कि ''आया यदि उदा गोद भी गया तो वह हांजा की भूमियों से विरासती उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद गोद गया या पहले।'' इस तथ्य के आधार पर यह वांछित हो जाता है कि उदा आसू का गोद पुत्र होने के कारण आसू की सम्पत्ति में अधिकार रखता है अथवा नहीं, तद्नुसार इस बिन्दु पर भी तनकियात कायम होनी चाहिए थी। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। इन परिस्थितियों में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद लाया गया है तथा प्रतिवादी/अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय में पेश शुदा दस्तावेजात के बरूऐ तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2014 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27–08–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

रामलाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर, निवासी गांव काकरोद, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द बनाम **सुआलाल पिता प्रताप जी नाई, निवासी गांव काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**34 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**देवगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**03**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री प्रदीप कुमार**....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री संजय बोहरा** .....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2017 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।